(b) if so, the nature of the decision taken ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) . (a) At present, there is no special proposal with the Government regarding the future of the Panjab University.

(b) Does not arise.

DETERIORATION IN ENGINEERING EDUCATION STANDARDS

4096. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the standard of engineering education has deteriorated in the country; and

(b) if so, the steps Government propose to take to improve it ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b) There is no scientific evidence to support the view that standards of engineering education in general in the country have gone down recently. However, engineering education has expanded unprecedentedly since independence. The supply of qualified teachers and provision of other educational facilities have not kept pace with this expansion. Government is constantly endeavouring to make good these deficiencies.

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम और निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

4097 **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितनें व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1962 से 31 अक्तूबर, 1967 के बीच 9,034 लोग गिरफ्तार किये गये। इन सब लोगों को रिहा कर दिया गया है और इस समय कोई भी मामले विचाराधीन नहीं हैं। जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी

4098. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के कितने कर्मचारी केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने पृथक-पृथक राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जून, 1967 में 542।

(ख) (i) मध्य प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी—I (राजपत्रित) पदों पर हैं—9।

(ii) उन कर्मचारियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी II पदों पर है—56*

(iii) उन कर्मचारियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार के अधीन अराजपत्रित पदों पर हैं—395

*टिप्पणी—इसमें कुछ वे अराजपत्रित पद भी शामिल हैं जिनके बारे में अलग से संख्या अभी उपलब्ध नहीं हैं।